न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 87/2022

अनवान :

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।

:— **वादी**

व ना म

1. रामेश्वर लाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
2. ममता कुमारी पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
3. आईसीआईसीआई शाखा 12 एमएसआर तहसील भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक 12 एमएसआर भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादी**

वकील श्री सरजीत बिजारणियां : **प्रतिवादीगण**

दिनांक : 23.05.22

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 187/14 के खसरा संख्या 671 की 2.782है0, खसरा सं0 671/9 की 2.378है0, खसरा सं0 708 की 1.808है0, खसरा सं0 730 की 2.491है0 कुल खसरा 4 की 9.459 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर लाल के नाम से 10345/18918 हिस्सा अर्थात 5.1725 है0 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता इन्द्राज की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर लाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की खानदानी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एव अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 को वकील वादी ने तर्क करने का निवेदन किया जिन्हे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 3 व 4 को तर्क किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में नरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी घेऊ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही घेऊ संवत 2075–78 खाता सं0 187/14 प्रदर्श 1, पैतृक जमाबंदी घेऊ संवत 2067–70 खाता सं0 17/15 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पचायत घेऊ प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वीराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद मे वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने घेऊ के राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि मे जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में सदस्य प्रमाण पत्र में एक पुत्र नरेन्द्र कुमार तथा एक पुत्री ममता के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 187/14 के खसरा संख्या 671 की 2.782है0, खसरा स0 671/9 की 2.378है0, खसरा सं0 708 की 1.808है0, खसरा सं0 730 की 2.491है0 बारानी कुल खसरा 4 की 9.459है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वरलाल के नाम से 10345/18918 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी स0 1 रामेश्वर लाल अकेले की बजाए वादी व प्रतिवादी 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 187/14 के खसरा संख्या 671 की 2.782है0, खसरा सं0 671/9 की 2.378है0, खसरा सं0 708 की 1.808है0, खसरा सं0 730 की 2.491है0 कुल खसरा 4 की 9.459 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 रामेश्वरलाल के नाम से 10345/18918 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर लाल अकेले की बजाए वादी नरेन्द्र कुमार, प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर लाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 87/2022

अनवान :

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
:– वादी

व ना म

1. रामेश्वर लाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
2. ममता कुमारी पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
3. आईसीआईसीआई शाखा 12 एमएसआर तहसील भादरा जरिये शाखा प्रबंन्धक 12 एमएसआर भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 187/14 के खसरा सख्या 671 की 2.782है0, खसरा सं0 671/9 की 2.378है0, खसरा सं0 708 की 1.808है0, खसरा सं0 730 की 2.491है0 कुल खसरा 4 की 9.459 वारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वरलाल के नाम से 10345/18918 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर लाल अकेले की वजाए वादी नरेन्द्र कुमार, प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर लाल को वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner